



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषय:- गाँधी नेत्र चिकित्सालय, ट्रस्ट अलीगढ़ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवर्तक अनुदान की प्रथम किश्त हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25फ/अनुदान/2026-27/356, दिनांक 22.09.2026 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाँधी नेत्र चिकित्सालय, ट्रस्ट अलीगढ़ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी-800 अन्य व्यय-03 चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान-09-नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर अलीगढ़ और कानपुर एवं 25 नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ को अतिरिक्त अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में आवर्तक अनुदान की प्राविधानित धनराशि रुपये 1,08,50,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रुपये 36,50,000/- (रुपये छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।
- (2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जायेगा।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 2210011100309 नेत्र चिकित्सालय सीतापुर अलीगढ़ और कानपुर मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 35,50,000 (रुपये पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 2210011100325 नेत्र चिकित्सालय अलीगढ़ को अतिरिक्त अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/ बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा- परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- (3) निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 30प्र0, लखनऊ ।
- (4) सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ ।
- (5) सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
- (6) सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कोषागार/मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, 30प्र0 शासन।
- (8) सम्बन्धित चिकित्सा इकाई/संस्थान/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव